संख्या-248/2017/1780/22-2-2016-17(417)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 मार्च, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुधीर पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी जनपद-गाजियाबाद हाल जिला हापुड की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34885/प्रोबे-5-दयायाचिका समिति की बैठक-05.09.2016 दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुधीर पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी गिरधरपुर, थाना-हाफिजपुर, जनपद-गाजियाबाद हाल जिला हापुड का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पूर्व में हुयी हत्या के बदले की भावना से दिनांक 20-09-1992 को बन्दी ने अपने 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूकों व रायफल से 06 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-385/1994 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 307, 427 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 19-12-2002 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्व योजित अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13-05-2005 द्वारा मृत्यु दण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया है। बन्दी के 03 अन्य सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय से दोष मुक्त तथा एक अन्य सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी द्वारा दिनांक 03-09-2016 तक 16 वर्ष 03 माह 23 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 10 माह 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, हापुड ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में आने, बन्दी जेल से बाहर आने पर पुन: अपराध कर सकने, गांव में पुरानी रंजिस व पार्टीबन्दी आज भी विद्यमान होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। पुलिस अधीक्षक, हापुड ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी जेल से बाहर आने पर पुन: अपराध कर सकने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, हापुड ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में आने, बन्दी जेल से बाहर आने पर पुन: अपराध कर सकने, गांव में पुरानी रंजिस व पार्टीबन्दी आज भी विद्यमान हाने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी सुधीर (बन्दी संख्या-11561) पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी-जनपद-गाजियाबाद हाल जिला हापुड की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-248/2017/1780(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हापुड़।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।